कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

–ज्ञापन–

क्रमांक क/भू–अर्जन/30/2016 दलपुर दिनॉक 26 अप्रैल 2017

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

0000

कार्यपालन अभियंता ,लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर द्वारा नगरनार – नदीबोड़ना–बसोली मार्ग के कि0मी0 1/9 पर गुलझोड़ी नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम ग्राम नगरनार पटवारी हल्का नम्बर 27, राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (ब) तहसील जगदलपुर जिला बस्तर की निजी भूमि रकबा **0.24** हेक्टयर अधीग्रहण किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः भूमि–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 की धारा **24** के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल से प्राप्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। कृपया उक्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट कलेक्टर बस्तर के बेवसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

प्ररूप – दो

(नियम 18 देखिए)

भाग–क–पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	मु0 बुदाय बेवा सुकपाल जाति भतरा	
2	पति/पत्नी का नाम	सुकपाल	
3	पिता/माता का नाम	—	
4	पता	नगरनार	
5	ग्राम/बस्ती	नगरनार	
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	नगरनार	
7	तहसील/तालुका	जगदलपुर	
8	जिला	बस्तर	
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित)		
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.28 हे0	
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.13हे0	
12	प्लाट नं.	ख.न. 1123	
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.न. 1123	
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	–	
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	–	
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मै निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)		
	(एक) मैने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है ।	हॉ ✓	नही

	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नही हूँ ।	हॉ	नही
	(तीन) मै इस अर्जन से सहमत हूँ ।	हॉ	नही
	प्रभावित परिवार के [redacted] अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	तहसीलदार हस्ताक्षरित प्ररूप [redacted]हित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		

प्ररूप – दो

(नियम 18 देखिए)

भाग–क–पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1	अधिनियम की धारा 3(ग)(एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	कनक सोनसाय पिता बजरो जाति भतरा	
2	पति/पत्नी का नाम		
3	पिता/माता का नाम	बजरो	
4	पता	नगरनार	
5	ग्राम/बस्ती	नगरनार	
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	नगरनार	
7	तहसील/तालुका	जगदलपुर	
8	जिला	बस्तर	
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित)		
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	0.12हे0	
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.11हे0	
12	प्लाट नं.	ख.न. 1124	
13	अधिकारों का अभिलेख	ख.न. 1124	
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	–	
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	–	
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अज्रन के संबंध में, मै निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं)		
	(एक) मैने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और स्थानीय भाषा में मुझे समझा दिया गया है ।	हॉ	नही

	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नही हूँ ।	हॉ	नही
	(तीन) मै इस अर्जन से सहमत हूँ ।	हॉ	नही
	प्र[illegible]ार के हस्ताक्षर अथ[illegible] अगूंठे का निशान और तारीख		
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	हस्ताक्षरित प्ररू[illegible] प्रदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		

Madhu

तहसीलदार

प्ररूप – तीन
सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिये)

1 **परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण :–**

(क) कुल जनसंख्या	(एक)	पुरूष	–	1923	(दो)	महिला	– 2029
(ख) बच्चों की संख्या	(एक)	पुरूष	–	267	(दो)	महिला	– 286
(ग) जातिवार जनसंख्या	(एक)	अ.ज.जा.	–	1078	(दो)	अ.जा.	– 198
	(तीन)	अ.पि.व.	–	–	(चार)	अन्य	–
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक)	हिन्दू	–	3268	(दो)	मुस्लिम	–
	(तीन)	सिक्ख	–	–	(चार)	ईसाई	–
	(पांच)	बौध्द	–	–	(छः)	अन्य	–

2 गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या –

3 वृध्दावस्था पेंशनरों की संख्या –

4 निराश्रित पेंशनरों की संख्या –

5 निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या – 2093

6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन – निरंक

7 प्रशासनिक संगठन – निरंक

8 राजनीतिक संगठन – ग्राम पंचायत।

9 सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य – निरंक

10 भूमि का उपयोग :–

(एक) कृषि भूमि – हे0 – कृषि भूमि

(दो) पड़त भूमि –

(तीन) सिंचित एक फसली भूमि		–	निरंक
(चार) सिंचित दुफसली भूमि		–	
(पांच) असिंचित भूमि	– हे0	–	असिंचित भूमि
11 जोत का आकार :–			
(एक) लघु कृषकों की संख्या		–	
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या		–	
(तीन) कुल खातों की संख्या		–	
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या		–	
(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये)		–	निरंक
12 पशुधन :–			
(एक) पशुधन की संख्या		–	
(दो) दुधारू पशुधन की संख्या		–	
13 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार		–	निरंक
14 पलायन		–	निरंक
15 रोजगार में महिलाओं की भागीदारी		–	निरंक
16 खाद्य सुरक्षा		–	प्रभावित नहीं।
17 अन्य स्थानीय रोजगार		–	प्रभावित नहीं।
18 मजदूरी दर		–	प्रभावित नहीं।
19 ऋण तक पहुँच		–	प्रभावित नहीं।
20 परिवहन एवं सड़क		–	प्रभावित नहीं।
21 सिंचाई		–	प्रभावित नहीं।
22 बाजार तक पहुँच		–	प्रभावित नहीं।

23 पर्यटन स्थल	–	प्रभावित नहीं।
24 सहकारी संस्थाएं	–	प्रभावित नहीं।
25 रहन–सहन :–		
(एक) धारणाएं, सौंदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाषा	–	लागू नहीं।
(दो) गृह	–	लागू नहीं।
(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान	–	लागू नहीं।
(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल	–	लागू नहीं।
(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि)	–	लागू नहीं।
(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)	–	लागू नहीं।
(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा	–	लागू नहीं।

<u>महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र</u>

1 भूमि जीविका और आय पर समाघात :–		
(क) रोजगार के स्तर और प्रकार	–	लागू नहीं।
(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके	–	लागू नहीं।
(ग) आय के स्तर	–	लागू नहीं।
(घ) खाद्य सुरक्षा	–	लागू नहीं।
(ड.) जीवन निर्वाह का स्तर	–	लागू नहीं।
(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण	–	लागू नहीं।
(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुँच	–	लागू नहीं

2 भौतिक संसाधनों पर समाघात :–	
(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात	– प्रश्न उपस्थित नही होता।
(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव	– प्रश्न उपस्थित नही होता।
3 निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिता पर समाघात :–	
(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता	– प्रश्न उपस्थित नही होता।
(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता	– प्रश्न उपस्थित नही होता।
(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव	– प्रश्न उपस्थित नही होता।
(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली	– प्रश्न उपस्थित नही होता।
(ड.) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात	– प्रश्न उपस्थित नही होता।
4 स्वास्थ्य समाघात :–	
(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात	– लागू नहीं होता।
(ख) वृध्दजनों के स्वास्थ्य पर समाघात	– लागू नहीं होता।
5 सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात :–	
(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण	– लागू नहीं होता।
(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन	– लागू नहीं होता।
(ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन	– लागू नहीं होता।
(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात	– लागू नहीं होता।
(ड.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप	– लागू नहीं होता।
(च) विस्थापन का तनाव	– लागू नहीं होता।
(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात	– लागू नहीं होता।
6 चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात :–	
(क) पूर्व–सन्निर्माण चरण	– प्रश्न उपस्थित नही होता।

(ख) सन्निर्माण चरण — प्रश्न उपस्थित नही होता।

(ग) प्रवर्तन चरण — प्रश्न उपस्थित नही होता।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण — प्रश्न उपस्थित नही होता।

(ड.) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात — प्रश्न उपस्थित नही होता।

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात) — प्रश्न उपस्थित नही होता।

अध्यक्ष
तहसीलदार
जगदलपुर

सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत
नगरनार

सदस्य
श्री रमेश चन्द्र जोशी
सहायक प्राध्यापक शासकीय
काकतीय पी0 जी0 महाविद्यालय
जगदलपुर

सदस्य
उपसरपंच ग्राम पंचायत
नगरनार

सदस्य
श्री दीपक नाथन
समाज सेवक
शांति नगर जगदलपुर

सदस्य
कु0 शफक सिद्दीकी
सहायक अभियंता लो0नि0वि0 सेतु
निर्माण सभाग जगदलपुर

Sunita Sahu
Sub Engg
PWD. Bridge
Jagdalpur

प्ररूप – चार

नियम 23(9) देखिये

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना हेतु विषय–वस्तु की सारिणी

अध्याय	विषय–वस्तु	
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजना	नगरनार–नदीबोड़ना से बसेली मार्ग के कि0मी0 1/9 गुलझोड़ी नाला सेतु
	(ख) स्थान	– नगरनार
	(ग) भूमि अर्जन का आकार और विषेशता	– 0.24 हे0
	(घ) अनुकल्पों पर विचार	–
	(ड.) सामाजिक समाघात	–
	(च) कमी करने के उपाय	– कोई नही है
	(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण जिससे शिक्षा व्यापार एवं कृषि में वृद्धि	– न्यूनतम है मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जगदलपुर पहुँच
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना के पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित	–
	(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित	– उपयुक्त है
	(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा	– जोखिम नहीं
	(घ) अनुकल्पों की परीक्षा	–
	(ड.) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ	– लगभग पूर्ण
	(च) मूल डिजाइन की विशिष्टियॉ और सुविधाओं का आकार और प्रकार	–
	(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	– नहीं
	(ज) कार्यबल अपेक्षाऐं (अस्थाई और स्थाई)	–
	(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	–

	(ञ) लागू किए गए विधान और नीतिया ।	–
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल की सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित	– पृथक से संलग्न
	(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन	– स्थल निरीक्षण द्वारा
	(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग	–
	(घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित करें)	– आवश्यक नहीं
	(ड.) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये)	– सहमति पत्र संलग्न
भूमि अवधारणा	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत–नक्शों की सहायता से वर्णन करें	–
	(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है)	–
	(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि	– 0.24 हे0
	(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आसपास है, का उपयोग	–
	(ड.) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशवित उपयोग	–
	(च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान	– 0.24 हे0, बसेली
	(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम	– असिंचित, कृषि एक फसल
	(ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या	– 0.24 हे0
	(झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन	–

	पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग	
प्रभावित परिवारों एवं सपत्तियों (जहाँ अपेक्षित हो का प्राक्कलन और प्रगणन)	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है–	
	(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है)	– दो कृषक
	(एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है	–
	(दो) अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है	– कोई नहीं
	(तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी	–
	(चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है	– नहीं
	(पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे है	– नहीं
	(छः) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है	– नहीं
	(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है)	– नहीं
	(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका	–
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृकि पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा	– कुल जनसंख्या – 3952 कुल परिवार – 973
	(ख) आय एवं गरीबी स्तर	– बीपीएल परिवार – 643
	(ग) दुर्बल समूह	–
	(घ) भूमि उपयोग और जीविका	– कृषि एवं कृषि मजदूरी
	(ड.) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप	– मतस्य आखेट एवं वनोपज संग्रह
	(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है	–
	(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	– जनजातिय पारिवारिक व्यवस्था

	(ज) प्रशासनिक संगठन (झ) राजनैतिक संगठन (ञ) समुदाय–आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन (ट) क्षेत्रिय संक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं (ठ) जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता	– – ग्राम पंचायत – जातिय सामाजिक संगठन – – अच्छी
सामाजिक समाघात	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढॉचा और दृष्टिकोण (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहॉ लागू हो–आकलित समाघात । (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियॉ, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात ।	– कोई नही – कोई नही – कोई नही केवल दो कृषक की भूमि
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न–विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाए, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान के बारे में अंतिम निष्कर्ष । (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नही, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा ।	वृहत लोक प्रयोजन क्षति न्यूनतम है । प्रस्तावित अर्जन वृहत लोकहित में उपयोगी है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार में वृद्धि एवं समग्र विकास पहुँच मार्ग निर्माण होने के कारण – अतः अर्जन होना चाहिए ।
निर्देश एवं प्ररूप	निर्देश एवं आगे सूचना हेतु	

सरपंच
ग्राम पंचायत नगरनार
ज.पं. जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.

अध्यक्ष
तहसीलदार
जगदलपुर

सरपंच एवं उपसंरपच
ग्राम पंचायत नगरनार

सदस्य
श्री रमेश चन्द्र जोशी
सहायक प्राध्यापक शासकीय
काकतीय पी0जी0 महाविघालय
जगदलपुर

सदस्य
श्री दीपक नाथन
समाज सेवक
शांति नगर जगदलपुर

सदस्य
कु0 शफक सिद्दकी
सहायक अभियंता
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लो0नि0वि0सेतु निर्माण संभाग
जगदलपुर

16/03/17
सुनीता साहू
उप अभियंता
लो. नि. वि. सेतु निर्माण
संभाग जगदलपुर

स्थल निरीक्षण पंचनामा

स्थान - ग्राम नगरनार
दिनांक - 16/3/2017

आज दिनांक 16/3/2017 को ग्राम-नगरनार, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. - जगदलपुर (ब), तहसील - जगदलपुर जिला - बस्तर (छ.ग.) में पुली डोड़ी नाला में निर्माणाधीन पुलिया के निरीक्षण एवं सामाजिक समाघात सर्वेक्षण हेतु तहसीलदार जगदलपुर सुश्री माधुरी सोम, सरपंच, उपसरपंच ग्राम पंचायत नगरनार, श्री रमेशचन्द्र जोशी, सहा. प्राध्यापक, शा. कालेज ची.जी. महाविद्यालय जगदलपुर, श्री दीपक नायन, समाज सेवक, कु. सुनीता साहू, उप अभियंता लोक निर्माण विभाग जगदलपुर हम अधोहस्ताक्षरकर्ता ग्रामवासियों की उपस्थिति में ग्राम में उपस्थित हुए। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 1123 कुल रकबा 0.28 हेक्टर में से 0.13 हेक्टर भूमि बुदाय बेवा सुकपाल, जाति-भतरा एवं खसरा नम्बर 1124 कुल रकबा 0.12 हेक्टर में से रकबा 0.11 हेक्टर भूमि कनक पिता बजरो, सोनसाय पिता बजरो, जाति भतरा की भूमि कुल रकबा 0.24 हेक्टर निजी भूमि पुलिया एवं सड़क निर्माण में प्रभावित हो रही है।

अध्ययन दल द्वारा मौके पर यह देखा गया कि, पुलिया बनने से ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा सुलभ होगी एवं समीपस्थ उड़ीसा राज्य से संपर्क सुगम होगा। तथा समीपस्थ धारा नदी बोड़ना के निवासियों को बाढ़ के समय में

क्रमशः...

Madhuri
(तहसीलदार
जगदलपुर)

SDE

सुरक्षित स्थानों पर जाने में होने वाली कठिनाईयों से निजात मिलेगी। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 भूमिस्वामी अभिलेख अनुसार प्रभावित हो रहे हैं। तथा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ग्रामवासी प्रभावित नहीं हो रहा है।

2) पुलिया के निर्माण हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य से ग्रामवासियों को कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा है।

3) पुलिया निर्माण होने से समीपस्थ उड़ीसा राज्य के लोगों से ग्रामवासियों का सम्पर्क होने से दोनों राज्यों के लोगों का सामाजिक व सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सुविधा होगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को देखते हुए सामाजिक समाघात दल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि, प्रस्तावित भू-अर्जन (खुली झोड़ी नाला पुलिया निर्माण) के निर्माण से लोक प्रयोजन हेतु लाभ बृहत है तथा क्षति निम्नतम है। प्रस्तावित भू-अर्जन से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार में वृद्धि, आवागमन सुलभ इस प्रकार समग्र विकास हेतु बृहद लोक हित में उपयोगी है।

अतः इसका भू-अर्जन किया जाना जनहित में उचित होगा।

पढ़कर सुनाया गया।

16/2/17

सरपंच
ग्राम पंचायत नगरनार
ज.पं. जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.

उप सरपंच
ग्राम पंचायत नगरनार
जनपद पंचायत जगदलपुर

सचिव
ग्राम पंचायत नगरनार
जनपद पंचायत जगदलपुर

SIE